व्यापार कर विभाग
उत्तर प्रदेश

[पंजीयन]

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

पंजीयन

प्रश्न-1 पंजीकरण के लिए वैट अधिनियम की किस धारा में प्राविधान है ?

उत्तर - धारा-17 में एवं धारा-18 में

प्रश्न-2 पंजीकरण कराने के लिए न्यूनतम वार्षिक विक्रय धन क्या है ?

उत्तर- 5 लाख प्रान्त के भीतर से खरीद व प्रान्त के भीतर बिक्री के मामले में ।

प्रश्न-3 अन्य व्यापारियों के मामले में कोई विक्रयधन निर्धारित है ?

उत्तर- नही ।

प्रश्न-4 पंजीयन प्राप्त करने के लिए कब और कैसे आवेदन करना होगा ?

उत्तर- जिस तिथि से व्यापारी पर करदायित्व आ रहा है उस तिथि से 30 दिन के भीतर फार्म VII या VII-G भर कर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना है ।

प्रश्न-5 पंजीकरण शुल्क कितना है ?

उत्तर- पंजीकरण शुल्क 100/- है ।

प्रश्न-6 30 दिन में प्रार्थना पत्र न देने पर विलम्ब शुल्क कितना देना पडेगा?

उत्तर- 100/- प्रतिदिन ।

प्रश्न-7 पंजीयन प्राप्त करने हेतु कौन से अभिलेख / प्रमाण देने होगें ?

उत्तर (क) पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म VII या VII-G

(ख) पंजीयन शुल्क जमा होने का प्रमाण

(ग) यदि कोई विलम्ब शुल्क अथवा अर्थदण्ड देय है तो उसके जमा का प्रमाण

(घ) मतदाता पहचान पत्र,पैन कार्ड,पासपोर्ट, बैंक पासबुक में से किन्ही दो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति

प्रश्न-8 फार्म VII या फार्म VII-G पर कौन हस्ताक्षर करेगा ?

उत्तर फार्म VII एवं फार्म VII-G पर हस्ताक्षर करने हेतु नियमावली के नियम-32 के उपनियम-6 के अनुसार निम्न ब्यक्तियों में से किसी के

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

द्वारा

1-फर्म स्वामी द्वारा

2-फर्म साझीदार द्वारा

3-अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता द्वारा

4-लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर ,मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड आफ डायरेक्टर के द्वारा अधिकृत व्यक्ति

5-क्लब या सोसायटी की दशा में अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा

6- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग होने पर या विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा

7- अव्यस्क स्वामी के संरक्षक द्वारा

8- इन्केपेसिटेटेड व्यक्ति के व्यापारी होने की दशा में जरनल पावर आफ एटार्नी द्वारा

9- ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी के द्वारा

प्रश्न-9 क्या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत व्यापारी को भी वैट अधिनियम में नया पंजीयन कराना होगा ?

उत्तर नही

प्रश्न-10 क्या इनका पंजीयन स्वयमेंव हो जाएगा ?

उत्तर नही

प्रश्न-11 तब उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीकृत व्यापारियों की वैट अधिनियम में पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीकृत जिन व्यापारियों पर वैट अधिनियम लागू होने की तिथि से करदायित्व आ रहा है उनके द्वारा पंजीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-

पूर्णरुप से भरा हुआ फार्म VII या VII-G को फार्म VIII के साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को संलग्न कर वैट अधिनियम लागू होने के 60 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें। पंजीयन अधिकारी निर्धारित फार्म

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

में वही TIN नंबर का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्रश्न-12 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत जिन व्यापारियों पर वैट अधिनियम में कर दायित्व नहीं आ रहा है और वे वैट में पंजीकृत रहना चाहते है तो उन्हें क्या करना होगा ?

उत्तर इस श्रेणी के व्यापारियों को वैट में स्वेच्छा से पंजीकरण जारी रखने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :-

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को पूर्ण रुप से भरे हुए फार्म VII या VII-G के साथ फार्म-IX में वैट अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और पंजीयन अधिकारी वैट में निर्धारित प्रारूप में वही टिन नंबर का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्रश्न-13 यदि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत नवीनीकरण शुल्क जमा नही किया गया हो ऐसी दशा में व्यापारी को क्या करना होगा ?

उत्तर ऐसे व्यापारी को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में देय नवीनीकरण शुल्क तथा 100/- विलम्ब शुल्क वैट अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न-14 जो व्यापारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकृत नही थे परन्तु वे वैट अधिनियम में स्वेच्छा से पंजीकरण कराना चाहते है उन्हे क्या करना होगा ?

उत्तर इस श्रेणी के व्यापारियों को नए व्यापारी की तरह पंजीयन कार्यवाही करनी होगी।

प्रश्न-15 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पहले ही वैट अधिनियम लागू होने पर क्या पूर्व अधिनियम में दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्र को ही वैट

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अधिनियम में दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्र मान लिया जाएगा ?

उत्तर हां।

प्रश्न-16 तब क्या व्यापारी को पंजीयन हेतु नया आवेदन करना होगा ?

उत्तर नही।

प्रश्न-17 तब इस श्रेणी के व्यापारी को पंजीयन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या रहेगी?

उत्तर इस श्रेणी के व्यापारी का उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाएगा यदि व्यापारी पंजीकृत हो जाते है तो उन्हे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तदोपरान्त व्यापारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को इन्डोर्समेन्ट हेतु पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगे।

प्रश्न-18 ऐसे व्यापारियों के इन्डोर्स मेन्ट की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर इस श्रेणी के व्यापारियों में से वे व्यापारी जिनपर वैट अधिनियम लागू होने की तिथि से करदायित्व आ रहा है उनके द्वारा फार्म VIII में प्रार्थना पत्र के साथ फार्म VII या VII-G भरकर पंजीयन अधिकारी को देना होगा।

प्रश्न-19 फार्म VIII एवं फार्म VII या VII-G कब तक प्रस्तुत करना है और उसके साथ क्या प्रमाण एवं अभिलेख प्रस्तुत होने है :-

उत्तर ये फार्म पंजीकरण अधिकारी के समक्ष वैट अधिनियम लागू होने की तिथि अथवा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि में से जो भी बाद में हो, के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करने होगे। परन्तु यदि कोई नवीनीकरण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क देय है तो यह दोनों शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने से 30 दिन के भीतर जमा करने होगे।

प्रश्न-20 यदि किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

पंजीयन प्रार्थनापत्र लम्बित है और वैट अधिनियम लागू हो गया है जिसमें उनका करदायित्व नही बनता है तब क्या स्थिति बनेगी ?

उत्तर ऐसे प्रकरण में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में पंजीयन पार्थना पत्र का निस्तारण किया जाएगा और यह उनकी स्वेच्छा रहेगी कि वे वैट अधिनियम में पंजीकृत होना चाहते है या नही।

प्रश्न-21 यदि इस श्रेणी के व्यापारी वैट अधिनियम में पंजीकृत होना चाहे तो उन्हे क्या करना होगा ?

उत्तर उन्हें पूर्ण रुप से भरकर फार्म X एवं फार्म VII या VII-G जोकि नियम 32 के उपनियम-6 में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा यथास्थित के अनुरुप हस्ताक्षर करके उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में देय नवीनीकरण शुल्क तथा वैट अधिनियम में यदि विलम्ब शुल्क देय हो तो विलम्ब शुल्क जमा करके व्यापार कर अधिनियम में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष इन्डोर्समेन्ट के लिए प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न -22 वैट अधिनियम में पंजीयन हेतु आवेदन करने के कितने दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा?

उत्तर पंजीयन प्रार्थना पत्र देने के 30 दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाएगें।

प्रश्न-23 वैट अधिनियम में पंजीयन का नवीनीकरण भी कराना होगा ?

उत्तर नही। जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक व्यापारी व्यापार बन्द न कर दें अथवा उनका पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त न कर दिया जाए।

प्रश्न-24 पंजीयन किन परिस्थितियों में निरस्त हो जाएगा ?

उत्तर निम्न परिस्थितियों में पंजीयन निरस्त हो जाएगा :-

क- यदि किसी व्यापारी की टर्न ओवर लगातार तीन साल तक 5 लाख से कम रहती है।

ख- यदि व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द कर दिया जाए।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

ग- जालसाजी अथवा कूटरचित तथ्यों के आधार पर पंजीयन प्राप्त करने, मांगी गयी अतिरिक्त जमानत जमा न करने, विभाग से प्राप्त फार्म को अनधिकृत व्यक्ति को दे देने, अपने नाम से अन्य व्यक्ति को व्यापार करने देने, बिना वास्तविक बिक्री के टैक्स इन्वाइस जारी करने, क्रेता से वास्तविक कर से अधिक वसूल कर को जमा न करने अथवा ट्रान्सपोंटर द्वारा रिटर्न न जमा करने, बकाया न जमा करने पर ।

प्रश्न-25 क्या पंजीयन का निरस्तीकरण स्वयमेंव विभाग द्वारा कर दिया जाएगा ?

उत्तर नही । पंजीयन निरस्तीकरण के पूर्व व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा।

प्रश्न-26 पंजीयन कब निलम्बित कर दिया जाएगा ?

उत्तर जब व्यापारी के पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही हो और विभाग को यह सम्भावना दिख रही है कि व्यक्ति निरस्तीकरण कार्यवाही के दौरान ही राजस्व को क्षति पहु चा सकते है तो वह तात्कालिक प्रभाव से पंजीयन निलम्बित रखने सम्बन्धी आदेश पारित करेगे ?

प्रश्न-27 क्या पंजीयन निलम्बन की अवधि में व्यापारी पंजीकृत माने जाएगे ?

उत्तर नही पंजीयन निलम्बन की अवधि में व्यापारी अपजीकृत माने जाएगे।

प्रश्न-28 क्या पंजीयन निलम्बन के पूर्व भी व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ?

उत्तर नही । परन्तु निलम्बन का आदेश सुस्पष्ट एवं सकारण होगा ।

प्रश्न-29 क्या फर्म के नाम, व्यापारिक वस्तु, फर्म की सरचना, व्यापार स्थल,व्यापार के स्वरुप,डायरेक्टर्स के परिवर्तन पर नया पजीयन लेना होगा ?

उत्तर नही । वैट अधिनियम की धारा 75 एवं वैट नियमावली के नियम 33 के अन्तर्गत उक्त परिवर्तन की सूचना फार्म XII में नियम 32 के

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उपनियम-6 में वर्णित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर पंजीयन प्रमाण पत्र, फार्म VII तथा परिवर्तन के साक्ष्य के साथ संलग्न करते हुए विभाग को देना पर्याप्त होगा।

प्रश्न-30 एक से अधिक व्यापार स्थल होने पर क्या पंजीयन प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कापी मिलेगी ?

उत्तर हां/ प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार स्थल के लिए पजीकरण अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि व्यापारी को देगा।

प्रश्न -31 क्या अतिरिक्त प्रति के लिए शुल्क देना है ?

उत्तर प्रत्येक व्यापार स्थल के लिए अतिरिक्त कापी प्राप्त करने हेतु कोई शुल्क नही देना है।

प्रश्न-32 पूरा व्यापार बेचने पर क्या पंजीयन प्रमाण पत्र क्रेता को हस्तान्तरित हो जाएगा ?

उत्तर नही / वैट नियमावली के नियम 35 के अनुसार पूरा व्यापार बेचने अथवा हस्तान्तरित करने पर उत्तराधिकारी को नया पंजीयन प्राप्त करना होगा।

प्रश्न-33 पंजीयन पमाण पत्र खोने या नष्ट होने पर डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर वैट नियमावली के नियम 36 के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ 100/- शुल्क जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

प्रश्न-34 क्या वैट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रान्सपोंटर को भी पंजीयन कराना होगा?

उत्तर हॉ/ वैट अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-6 के अनुसार उन सभी ट्रान्सपोर्टर को जो करयोग्य माल का परिवहन करते है उन पर व्यापार का पजीयन कराने का दायित्व है।

प्रश्न-35 ट्रान्सपोर्टर कोई खरीद बिक्री का व्यापार नही करते है फिर इनको पंजीकृत कैसे किया जाएगा ?

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर वैट अधिनियम की धारा-2 की उपधारा (9) के क्लाज IX में ट्रान्सपोर्टर को व्यापारी माना गया है। अत: इनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

प्रश्न-36 ट्रान्सपोर्टर के पंजीयन की क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर वैट अधिनियम लागू होने के उपरान्त ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय प्रारम्भ करने के 30 दिन के भीतर फार्म XIV में पंजीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन पंजीकरण शुल्क 100/- जमा होने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न-37 यदि वैट अधिनियम लागू होने के पूर्व ही ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय किया जा रहा है तब पंजीयन का आवेदन कब करना होगा ?

उत्तर वैट नियमावली के नियम 38 -उपनियम (1) के परन्तुक में की गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे ट्रान्सर्पोटर को वैट अधिनियम लागू होने की तिथि के 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन करना है।

प्रश्न-38 यदि 30 दिन में आवेदन नही किया जाए तब क्या विलम्ब शुल्क देना है?

उत्तर हॉ विलम्ब शुल्क देय होगा।

प्रश्न-39 पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र (फार्म XIV) पर किसके हस्ताक्षर होगे ?

उत्तर वैट नियमावली के नियम -38 के उपनियम (4) में वर्णित व्यक्तियों मे से यथास्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा।

प्रश्न-40 ट्रान्सपोर्टर को पजीयन प्रमाण पत्र किस प्रारुप में दिया जाएगा ?

उत्तर ट्रान्सपोर्टर को पजीयन प्रमाण पत्र फार्म XVI में दिया जाएगा।

प्रश्न-41 ट्रान्सपोर्टर की विभिन्न शाखाओं के लिए पजीयन प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति दी जाएगी ?

उत्तर हॉ/ ट्रान्सपोर्ट की प्रत्येक ब्रान्च के लिए मांग करने पर अतिरिक्त प्रति निशुल्क दी जाएगी।

प्रश्न-42 पंजीयन प्रमाण पत्र खो जाने पर नष्ट हो जाने पर ट्रान्सपोर्टर को क्या करना होगा ?

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तर पजीकरण अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ रुपया 100/- शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

प्रश्न-43 माल की बुकिंग एवं डिलीवरी के समय ट्रान्सपोर्टर को क्या करना होगा ?

उत्तर माल की डिलीवरी देते समय माल के प्राप्त कर्ता से फार्म XVII में तथा बुक करते समय बुक कराने वाले से फार्म XVIII घोषणा पत्र लेगा।

प्रश्न-44 क्या धारा-6 (1) के प्रोविजो जिन पर लागू होगा उन्हें भी रिटर्न देना होगा?

उत्तर हॉ-वैट नियमावली के नियम 44 के उपनियम (10) के अन्तर्गत रिटर्न देना आवश्यक है।

प्रश्न-45 जिन ट्रान्सपोर्टर ने "द कैरिज बाई रोड एक्ट 2007 मे पंजीयन प्राप्त किया है क्या उन्हें भी उ0प्र0 वैट अधिनियम 2007 में पंजीयन लेना है?

उत्तर नहीं

प्रश्न-46 तब "द कैरिज बाई रोड एक्ट 2007" मे पंजीकृत ट्रान्सपोर्टर को वैट अधिनियम में क्या करना होगा ?

उत्तर इस श्रेणी के ट्रान्सपोर्टर को पूर्व रूप से भरे फार्म XIV एवं रोड कैरीज एक्ट 2007 में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को संलग्न करके इस फार्म XV में प्रार्थना पत्र वैट अधिनियम लागू होने के 30 दिन के भीतर रजिस्टरिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

***

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com